:: न्यायालय, अपर सैशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 81/2019

CIS No. : 81/2019

राजस्थान राज्य

बनाम

01. **प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचन्द** पुत्र मथुरालाल,
02. **हरकचन्द उर्फ हरिशचन्द** पुत्र मथुरालाल,

निवासीगण परपती, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

.... अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 323 विकल्पतः 323/34, 326 विकल्पतः 326/34, 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

01. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
02. श्री भूरालाल मीणा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः-11.05.2026**

घटना की दिनांक	18.02.2019
प्रथम सूचना की दिनांक	19.02.2019
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	09.10.2019
कमिट होकर प्राप्त होने की दिनांक	15.10.2019
आरोप विरचन की दिनांक	22.01.2020
साक्ष्य आरम्भ होने की दिनांक	29.02.2020
निर्णय सुरक्षित करने की दिनांक	-
निर्णय की दिनांक	11.05.2026
दण्डादेश, यदि हो तो दिनांक	-

अभियुक्तगण का विवरण-

क्र. सं.	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर मुक्त होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषसिद्धि /दोषमुक्ति	अधिरोपित दण्ड	धारा 428 दप्रसं के अधीन समायोजन

							अवधि
1.	प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचन्द	24.02.19		323 विकल्पतः 323/34, 326 विकल्पतः 326/34, 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्ति	-	-
2	हरकचन्द उर्फ हरिशचन्द	24.02.19		323 विकल्पतः 323/34, 326 विकल्पतः 326/34, 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्ति	-	-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>-

1. यह सेशन प्रकरण इस न्यायालय में उपार्पित होकर प्राप्त होने पर संस्थित हुआ है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 19.02.2019 को आहत रामराज द्वारा जैर ईलाज सुधा अस्पताल, कोटा में पुलिस थाना अकलेरा को एक पर्चा बयान इस आशय का दर्ज कराया कि दिनांक 18.02.2019 को समय 10 बजे उसके घर से वह उसके खेत पर गया था। उनके खेत की तरफ रामलखन, प्रेम व हरकचन्द गायें भगाकर ला रहे थे तो उसने उनसे मना किया तो यह उसके साथ गाली गलौच करने लग गए तथा **रामलखन ने उसके पीछे से जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर दाहिने हाथ के कंधे पर कुल्हाड़ी की मार** दी। उसके साथी **प्रेम व हरकचन्द भी उसके साथ लठों से मारपीट करने** लग गए। वह चिल्लाया तो ये लोग वहां से भाग गए। उसके गांव के बलराम व शिवराज दौड़कर आये। उन्होंने उसके सिर से ज्यादा खून निकलने से अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर सरकारी अस्पताल अकलेरा लेकर आये। उसके ज्यादा गम्भीर चोटें होने से उसे 108 एम्बुलेंस में झालावाड़ रेफर कर दिया। अब उसका ईलाज सुधा अस्पताल कोटा में चल रहा है, इत्यादि।

2. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना अकलेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 100/19, अन्तर्गत धारा 307, 323, 504, 34 भा.द.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचन्द व हरकचन्द उर्फ हरिशचन्द के विरूद्ध धारा 341, 323, 326, 307, 504, 34 भा.द.सं. में आरोप पत्र विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को विचारणार्थ इस न्यायालय को उपार्पित किया गया।

3. प्रकरण में अभियुक्तगण प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचन्द व हरकचन्द दर्फ हरिशचन्द के विरूद्ध अपराध धारा 323 विकल्पतः 323/34, 326 विकल्पतः 326/34, 307, 504 भा.द.सं. के आरोप विरचित किए गए, अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर मौखिक साक्ष्य में कुल 23 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया जिनका समुचित विवरण निर्णय के अंतिम भाग में **परिशिष्ट 'क'** में दर्शाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं। जिनका समुचित विवरण निर्णय के अंतिम भाग में **परिशिष्ट 'ख'** में दर्शाया गया है।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बताया। अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

6. बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। परिवादी रामराज नहर के किनारे पर मोटरसाईकिल पर जाते समय नशे की हालत में होने के कारण गिर कर चोटग्रस्त हो गया था और रंजिश के कारण अभियुक्तगण व उनके परिवार के रामलखन के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था। परिवादी ने उसके सिर व कंधे पर रामलखन द्वारा कुल्हाड़ी से मारना व अभियुक्तगण प्रेमनारायण व हरकचंद द्वारा लठों से मारना बताया था जबकि साक्ष्य में परिवादी रामराज व उसके हितबद्ध साक्षी शिवराज व बलराम की साक्ष्य विरोधाभासपूर्ण है। इन दोनों साक्षियों की मौके पर वक्त घटना उपस्थिति साबित नहीं है। प्रकरण में सभी स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हुए हैं। रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाई गई है और चोट प्रतिवेदन भी घटना के दस दिन बाद बनवाया गया है। अभियुक्तगण से कुल्हाड़ी व लकड़ी की बरामदगी के मौतबिर साक्षी पक्षद्रोही हैं। एफएसएल रिपोर्ट में कुल्हाड़ी पर मानव रक्त नहीं पाया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि चक्षुदर्शी साक्षी शिवराज व बलराम के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित है। आहत व उक्त चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा लकड़ी व कुल्हाड़ी से चोटें कारित करने का कथन किया है। आहत के सिर व कंधे पर गम्भीर चोट कारित की गई है। चिकित्सीय साक्ष्य से चोटों की पुष्टि होती है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अतः उन्हें आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

8. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण के विनिश्चय के लिए न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि-

(1) ''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.02.2019 को समय सुबह 10 बजे के लगभग ग्राम गादिया में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रामराज के साथ स्वेच्छया कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति व धारदार हथियार से गम्भीर उपहतियाँ कारित की तथा आहत रामराज की मृत्यु कारित करने के आशय से या सम्भाव्य जानते हुए उसके ऐसी चोटें कारित की कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते व आहत रामराज को इस आशय से अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करे ?"

(2) यदि हां तो उसके लिये उचित दण्ड क्या होगा ?

<u>अभियोजन साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण-</u>

9. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 रामराज** की साक्ष्य है कि दिनांक 18.02.2019 की सुबह के दस बजे वह घर से खेत पर आ रहा था। रोड़ पर पुलिया बन रही है जहां पर हरिशचंद्र और प्रेमचंद थे। साक्षी के अनुसार **उसके मोटरसाइकिल से उतरते ही प्रेमचंद और हरिशचंद ने उसके कुल्हाड़ी की एक कंधे पर और दो माथे पर मारी।** जिससे उसके खून निकल आया। उसके बाद बलराम और शिवराज उसे अकलेरा अस्पताल ले आये। यह दोनो मेरे गांव के है। अकलेरा अस्पताल से उसे झालावाड़ रेफर कर दिया और वहां से कोटा रेफर कर दिया। पुलिस अस्पताल मे आयी थी। जहां पर उसके पर्चा बयान प्रदर्श पी 5 लिये थे जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसके खून आलुदा कपड़े टीशर्ट, चड्डा भी जब्त किये थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह और 20-25 आदमी 100-150 गायों को भगा रहे हो। साक्षी के अनुसार दूसरे लोग गायों को ले जा रहे थे, वह आगे था। साक्षी का कथन है कि उसने हरिशचन्द वगैरह को गाय भगाने के लिए कहा तो इतने में उक्त मुल्जिमान ने उसके साथ मारपीट कर दी। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्तगण से आमकझूमा हो गया हो और उन्हें गालियां दी हो। साक्षी के अनुसार **उसके मोटरसाईकिल से उतरते ही उन दोनों ने उसके कुल्हाड़ी से मार दी थी।** इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि रास्ते में गाय आ जाने के कारण मोटरसाईकिल से नहर में गिर गया हो और उसके पत्थर से चोट आई हो। साक्षी के अनुसार गांव के आदमी मौके पर थोड़ी देर बाद आए थे।

10. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 12 शिवराज** ने सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2019 को दिन के 10-11 बजे की बात है। चैनसिंह ने उसके पास फोन लगाया तो वह और बलराम अलग-अलग मोटरसाईकिल से परपती की नहर की पुलिया पर गये। वहां पर **रामराज व हरिशचंद, प्रेमनारायण, लखन आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे।** प्रेमचंद ने कुल्हाड़ी की रामराज के मारी तो उसके सिर पर लगी। हरिशचंद ने लकड़ी से मारपीट की। **रामलखन के पास भी कुल्हाड़ी थी।** हमारे साथ मारपीट न कर दे इसलिए हम दूर भाग लिये। वह व बलराम आहत रामराज को सरकारी अस्पताल अकलेरा में लेकर आये जहां से उसे झालावाड़ व झालावाड़ से कोटा रैफर कर दिया था। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसके व बलराम के अलावा गाय भगाने कोई नहीं गया था। यह स्वीकार किया है कि वह मौके पर गये तब वहां गायें नहीं मिली। घटना स्थल गांव से डेढ-दो किलोमीटर दूर है। इस सुझाव को गलत बताया कि वह लड़ाई के आधे घण्टे बाद पहुंचा हो और उन्होंने लड़ाई होते हुए नहीं देखा हो। साक्षी के अनुसार जब **हम वहां पर पहुंचे तब रामराज मारपीट कर रहा था।** लड़ाई दो-तीन मिनट तक चली थी। **रामलखन ने कुल्हाड़ी की रामराज के कंधे पर मारी थे जो एक चोट मारी थी।** रामलखन ने रामराज के पीछे से मारी थी। चोट मारने से रामराज नीचे डामर रोड़ पर गिर गया था। साक्षी के अनुसार मौके पर उनके अलावा कोई नहीं था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि रामराज उन्हें नहर में पड़ा दिखा हो और रामराज ने शराब पी रखी हो। यह स्वीकार किया है कि आज उसे रामराज और उसके पिता गवाही देने के लिए लेकर आये हैं।

11. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 13 बलराम** ने सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2019 को दिन के 10-11 बजे की बात है। वे गांव में थे। चेनसिंह ने बताया कि परपती के लोग गायों को भगा रहे हैं। इसलिए पर वह और शिवराज मोटरसाईकिल से परपती की पुलिया पर गये। वहां पर हरिशचंद, प्रेमनारायण, एक ओर अन्य लखन रामराज साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर रहे थे। रामराज के कंधे पर कुल्हाड़ी की चोट आई थी जो चोट प्रेमचंद ने मारी थी। **लखन ने लकड़ी से मारपीट की। हरिशचंद ने भी लकड़ी से रामराज के साथ मारपीट की।** फिर हम रामराज को लेकर सरकारी अस्पताल में आए जहां से उसे झालावाड़ व झालावाड़ से कोटा रैफर कर दिया। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि फोन किस नम्बर से आया था उसे याद नहीं। यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर उसके व रामराज के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यह स्वीकार किया है कि रामराज उसके काका का लड़का है और उसके काका व रामराज उसे गवाही दिलाने के लिए अकलेरा से लेकर आये हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह अपने काका व रामराज के कहने से आज गवाही दे रहा है, स्वतः कहा है कि उसने जो देखा वही

गवाही दे रहा है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि रामराज उन्हें नहर में पत्थरों पर पड़ा मिला हो। साक्षी के अनुसार हमें लोग गायों को भगाते हुए नजर आये थे। रामराज भी गायों को भगा रहा था। **यह स्वीकार किया है कि वह मौके पर गये तब रामराज के पास कोई नहीं था।**

12. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 7 दिलीप, साक्षी क्रमांक 14 कालूलाल, साक्षी क्रमांक 15 मंशाराम, साक्षी क्रमांक 17 छीतरलाल, साक्षी क्रमांक 18 तेजराज व साक्षी क्रमांक 21 राजाराम** को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया गया है। उक्त साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इन साक्षियों ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है इन्होंने किसी प्रकार की घटना देखे जाने से इंकार किया है।

13. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 9 प्रहलाद** की साक्ष्य है कि करीब दो-तीन साल पहले दिन में दस बजे वह अपने खेत में पाणत कर रहा था। उस समय गादिया वाला कोई व्यक्ति मोटरसाईकिल से गायों को भगाकर ला रहा था जो धामा मस्ती करता हुआ आ रहा था और नहर में गिर गया। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के पश्चात साक्षी का कथन है कि चार-पांच मोटरसाईकिलों पर गादिया जयमल के लोग गायों को भगाकर ला रहे थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त हरिशचन्द ने उन गायों को नहर की तरफ भगा दिया हो और रामराज ने गायों को परपती के रास्ते की ओर भगा दिया हो तथा इस बात पर उनमें गाली गलौच हुई हो। इस सुझाव को गलत बताया है कि प्रेमचन्द ने रामराज के कुल्हाड़ी की सिर में चोट मारी हो। साक्षी ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का ए से बी भाग गलत लिखा होना बताया है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि हरिशचन्द और प्रेमनारायण ने रामराज के साथ मारपीट नहीं की। रामराज गायों को भगाकर ला रहा था और मोटरसाईकिल सहित नहर में गिर गया जिसे उसने व रामराज के गांव वालों ने नहर से निकाला था।

14. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 16 रामबिलास** की साक्ष्य है कि करीब चार-पांच साल पहले दिन में दस बजे वह मोटरसाईकिल से खेत पर जा रहा था। गादिया जयमल के कुछ लोग सुनी गायों को परपती की माल की ओर भगाकर ला रहे थे। हरिशचन्द ने उन गायों को वापस गादिया जयमल के माल की ओर कर दिया तब वे लोग दुबारा उन गायों को उनके गांव की तरफ भगाने लगे तो हरिशचन्द ने मना किया। इस बात पर हरिशचन्द व गांव वालों में झगड़ा हो गया जो उसके पहुंचने से पहले ही हो गया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के पश्चात साक्षी ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 25 का ए से बी भाग गलत लिखा होना बताया है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण व रामराज को घटना स्थल पर नहीं देखा।

15. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 11 डॉ. सत्येन्द्र सिंह** ने दिनांक 01.03.2019 को सीएचसी अकलेरा में पुलिस थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर आहत रामराज की चोटों का परीक्षण करना बताया है। साक्षी के अनुसार आहत के निम्न चोटें थी-

1. टांके लगे हुए ऑपरेशन का घाव 15 गुना 1/2 सिर में दाई तरफ आगे से पीछे की ओर,

2. टांके लगे हुए घाव 7 गुना 1/2 दाहिने कंधे पर, 3. खरोंच 5 गुना 2 छाती में दाई ओर।

3. खरोंच 5x2 छाती में दांयी ओर।

साक्षी के अनुसार आहत की चोट संख्या 3 कुंद हथियार से कारित थी। चोट संख्या 1 व 2 के लिए हथियार के बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि वहां पर ऑपरेशन हुआ था। सभी चोटों की अवधि 10-15 दिन पुरानी थी। चोटों के लिए एक्सरे की सलाह देकर राय सुरक्षित रखी थी। बाद एक्स-रे चोट सं. 1 व 2 गम्भीर प्रकृति की पाई गई। चोट सं. 3 साधारण प्रकृति की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 21 व एक्सरे कवर नोट मय प्लेट प्रदर्श पी 22 को प्रदर्शित करवाया है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि ऊंचाई से सिर के बल गड्डे में पत्थरों पर गिर जाए तो इस प्रकार की चोटें आना सम्भव है। यह भी स्वीकार किया है कि तेज रफ्तार से मोटरसाईकिल से फिसलने पर उक्त चोटें आना सम्भव है।

16. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 22 डॉ. अर्पित समधानी** की साक्ष्य है कि वह दिनांक 18.02.19 को सुधा हॉस्पीटल कोटा में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन डॉ. कपिल जैन द्वारा रेफर करने पर आहत रामराज उम्र 26 साल के सिर के सीटी स्केन की उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी। जिसमें सिर की दाहिनी हड्डी में फ्रेक्चर था व सिर के अंदर रक्त स्त्राव था। सीटी स्केन रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 (प्रदर्श पी 29) पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताये हैं। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट में मरीज का पहचान चिन्ह व पिता का नाम अंकित नहीं किया है। साक्षी के अनुसार उनके यहां प्रतिदिन 15 सीटी स्केन हो जाती है। यदि मरीज दूसरा व्यक्ति हो तो वह नहीं बता सकता। स्वतः कहा है कि उसके पास तो केवल रिपोर्टिंग के लिए फिल्म आती है। उसने सीटी स्केन नहीं किया था व मरीज को नहीं देखा था।

17. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 भूरालाल** व **अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 गोपाल** अभियुक्तगण से हुई हथियारों की बरामदगी के साक्षी हैं जिन्होंने फर्द बरामदगी नक्शा लकड़ी व कुल्हाड़ी प्रदर्श पी 1 पर, फर्द बरामदगी लकड़ी की फर्द प्रदर्श पी 2 तथा फर्द बरामदगी कुल्हाड़ी प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं

ए से बी उसके हस्ताक्षर है। साक्षियों ने उनके हस्ताक्षर थाने में करना बताया है। अभियोजन द्वारा इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। साक्षियों ने अभियुक्त प्रेमनारायण द्वारा कुल्हाड़ी बरामद करवाना व हरिशचन्द द्वारा बांस की लाठी बरामद करवाने के तथ्य से इन्कार किया है और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जाने का कथन किया है।

18. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 उम्मेदराज** व **अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 पप्पूलाल** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.02.2019 की बात है। रामराज के कुल्हाड़ी की हरिशचंद्र और मथुरालाल ने मारी थी। पुलिस ने उनके सामने खुन आलूदा कपड़े एक टिशर्ट, एक कोर्ट, एक केपरी जब्त किये थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 पर उनके हस्ताक्षर हैं।

19. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 8 गिर्राज** के अनुसार करीब 5 साल पहले प्रेमचंद और हरीश ने उसके चाचा के लड़के रामराज के साथ मारपीट की थी। रामराज के सिर और कंधे पर चोटें आयी हुयी थीं। उसने अपने मोबाईल से रामराज के सिर और कंधे की चोटों की फोटो ली थी और उसके मोबाईल से ई-मित्र पर फोटो प्रिन्ट निकलवाकर पुलिस को दी थी। फोटोग्राफ प्रदर्श पी 08 व 09 हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि घटना किस दिन और माह की है उसे याद नहीं। उसने फोटो अस्पताल में मोबाईल से लिये थे। यह स्वीकार किया है कि फोटो उसने अपनी मर्जी से बनाये थे। अपने मोबाईल से ईमित्र पर फोटो के प्रिंट निकलवाकर पुलिस को दी थी जिसमें कोई एडिटिंग नहीं थी।

20. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 20 नारायणसिंह** मालखाना इंचार्ज ने दिनांक 26.02.2021 को घनश्याम एएसआई द्वारा सुपुर्द पैकेट मार्क ए जिसमें कपड़े एक टीशर्ट, एक कोट कपड़े की सीलबंद थैली में तथा एक कुल्हाड़ी व एक लकड़ी मार्का बी व सी को मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टी कर जमा मालखाना करना कहा है। साक्षी के अनुसार दिनांक 28.05.19 को उक्त जप्तशुदा आर्टिकल मार्क ए व बी को सीलबंद अवस्था में एफएसएल कोटा में परीक्षण हेतु जमा कराने के लिए कानि. हनुमान 1214 को सुपुर्द किये थे जिसने एफएसएल की प्राप्ति रसीद लाकर उसे सुपुर्द की थी। मूल मालखाना रजिस्टर की प्रविष्टी प्रदर्श पी 29 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 29ए पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर प्रदर्शित करवाये हैं। प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि माल सीलचिट न हो और सील टूटी हुई हो।

21. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 23 हनुमान** कानि. के अनुसार दिनांक 28.05.19 को मुकदमा नंबर 100/19 में जप्तशुदा 02 सीलबंद पैकेट मालखाना इंचार्ज से सीलबंद अवस्था में प्राप्त कर एफएसएल कोटा में जमा कराने हेतु थाने से लेकर रवाना हुआ था। उसने एसपी ऑफिस झालावाड़ से अग्रेषण पत्र तैयार

करा कर दिनांक 29.05.19 को एफएसएल कोटा में उक्त सीलबंद पैकेट जमा कराये थे। जिनकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 18 मालखाना इंचार्ज को लाकर सुपुर्द की थी। प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि पैकेट सीलबंद अवस्था में न हो।

22. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 6 सरदारसिंह** हेड कानि. की साक्ष्य है कि उसने एसएचओ के निर्देश पर सुधा अस्पताल, कोटा पंहुच कर वहाँ भर्ती आहत रामराज का पर्चा बयान लिया था। साक्षी के अनुसार आहत रामराज के सिर व दायें हाथ मे पट्टा बंधा हुआ था। **मेडिकल के लिए पृथक से तहरीर दी।** वहां से रवाना होकर थाने पर आया और पर्चा बयान सीआई साहब के समक्ष पेश किये। जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया। पर्चा बयान प्रदर्श पी 5 पर एक्स स्थान पर रामराज की अंगूठा निशानी, ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर व सी से डी कार्यवाही पुलिस को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि बयान लेते समय रामराज बयान देने की स्थिति में था। आईसीयू में उस समय उसके घरवाले उपस्थित नहीं थे, कम्पाउण्डर उपस्थित था।

23. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 10 घनश्याम** एएसआई ने प्रकरण का अनुसंधान किया है। साक्षी का कथन है कि वह दिनांक 19.02.2019 को थाना अकलेरा में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी श्री रामकिशन ने आहत रामराज के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा संख्या 100/2019 धारा 307, 323, 504, 34 भा.द.सं. में दर्ज कर पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु उसे दी थी। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का निरीक्षण कर उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 बनाया था। आहत रामराज का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जाकर चोट प्रतिवेदन मय एक्स-रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली किये। बयान गवाह बलराम, शिवराज, रामराज, प्रहलाद, मंशाराम, राजाराम, तेजराज, कालूलाल, धन्नालाल, रामविलास, राधेश्याम, छीतरलाल, दूलीचन्द, गिरीराज, रिंकू उर्फ दिलीप उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। मजरूब की चोट के फोटो प्रदर्श पी 08 व पी 09 शामिल पत्रावली किये थे। अभियुक्त हरिशचन्द्र को जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 से व अभियुक्त प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण को जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 से गिरफ्तार किया था। दौराने हिरासत अभियुक्त हरिशचन्द्र ने स्वेच्छापूर्वक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 14 दी कि उसने जिस लकड़ी से रामराज के साथ मारपीट की थी उसे बरामद करा सकता है। जिस पर उसके व अभियुक्त हरिशचन्द्र के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.02.2019 को भी हरिशचन्द्र ने लकड़ी बरामद कराने की सूचना प्रदर्श पी 15 दी थी जिस पर उसके व हरिशचन्द्र के हस्ताक्षर हैं। साक्षी के अनुसार अभियुक्त प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण ने उसे स्वेच्छापूर्वक सूचना दी थी कि उसने जिस कुल्हाड़ी से रामराज से मारपीट की थी वह उसके घर के किवाड़

के पीछे छुपा कर रखी है जिसे बरामद करा सकता है। सूचना प्रदर्श पी 16 पर ए से बी उसके व सी से डी प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार दिनांक 27.02.2019 को भी अभियुक्त प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण ने उसे कुल्हाड़ी उसके घर के किवाड़ के पीछे छुपा कर रखी को बरामद कराने की सूचना प्रदर्श पी 17 दी थी जिस पर उसके व प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त हरिशचन्द्र की सूचना पर उसकी निशादेही से एक बांस की लकड़ी बरामद कर जब्त की थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 है जिस पर उसके व हरिशचन्द्र के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार अभियुक्त प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण की सूचना पर एक कुल्हाड़ी बरामद कर जब्त की थी जिसकी बरामदगी प्रदर्श पी 03 है, जिस पर उसके व प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण के हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर 2 जगह नमूना सील चस्पा है। लकड़ी व कुल्हाड़ी की बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 01 है जिस पर उसके व हरिशचन्द्र तथा प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण के हस्ताक्षर बताये हैं। साक्षी का कथन है कि रामराज द्वारा पेश की गई एक टी-शर्ट, एक कोट व एक केफरी खून आलूदा जरिये फर्द प्रदर्श पी 04 जब्त किये थे। अभियुक्तगण का आपराधिक रिकार्ड प्रदर्श पी 19 है जो शामिल पत्रावली किया। एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 है जो शामिल पत्रावली है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण हरिशचन्द्र उर्फ हरकचन्द्र व प्रेमचन्द उर्फ प्रेमनारायण के विरूद्ध धारा 341, 323, 326, 307, 504, 34 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाया था। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि सरदारसिंह हेड कनि. ने पर्चा बयान किस तारीख को लिये उसे पता नहीं। साक्षी के अनुसार उसने रामराज के बयान धारा 161 दप्रसं कोटा जाकर लिये थे। जो 5-6 दिन बाद लिये थे। रामराज के बेड के आस-पास उसके परिवार के लोग बैठे हुए थे। आस-पास बैठे लोगों ने भी घटना के बारे में उसे बताया था। उन लोगों के उसने बयान लेखबद्ध नहीं किये। उसने फोटोग्राफी नहीं करवाई थी। फोटोग्राफ देखकर वह नहीं बता सकता कि फोटो में कौन व्यक्ति है। फोटोग्राफी एडिट कर बनाया गया हो तो वह नहीं बता सकता। घटना स्थल के पास नहर निकल रही है। नहर के ऊपर सुरक्षा दीवार बनी हुई है या नहीं वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार वह नहीं बता सकता कि दीवार नहीं होने के कारण रामराज गिर गया हो और इस कारण उसके चोटें आई हो। जो कुल्हाड़ी उसने जप्त की उस पर खून लगा हुआ था, जंग नहीं लगा हुआ था। यह स्वीकार किया है कि कुल्हाड़ी और लकड़ी सभी काश्तकारों के घरों में मिल जाती है। जिस मकान से कुल्हाड़ी बरामद की उसका मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में खुलता है। आस-पास मकान किस-किसके हैं उसे ध्यान नहीं। वह मौके पर गया तब गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। यह स्वीकार किया है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी 5 के **ए से बी भाग** में रामराज के कुल्हाड़ी से रामरतन द्वारा मारना अंकित है। साक्षी के अनुसार वह

नहीं बता सकता कि उसे किस गवाह ने बताया कि रामराज के साथ प्रेमचंद और हरकचंद ने कुल्हाड़ी से मारपीट की। इस सुझाव को गलत बताया है कि प्रेमचंद व हरकचंद द्वारा रामराज के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट करने की बात उसने अपनी मर्जी से लिखी हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि गवाहों ने उसे यह बताया हो कि रामराज नहर में गिर गया जिससे उसके चोटें आई और उसकी मोटरसाईकिल उन्होंने नहर से निकाली हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण और परिवादी के खेत पास-पास हो और खेत की मेड़ को लेकर उनके बीच पुरानी रंजिश हो।

<u>साक्ष्य की विवेचना</u>-

24. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट आहत रामराज के पर्चाबयान प्रदर्श पी 05 पर दर्ज हुई है जिसमें उसके साथ रामलखन द्वारा कुल्हाड़ी से व प्रेमनारायण, हरकचंद द्वारा लठों से मारपीट का अभिकथन है। अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचंद व हरकचंद उर्फ हरिशचंद के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया है और अनुसंधान में रामलखन की मौके पर उपस्थिति साबित नहीं पाई गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त प्रेमचंद की निशादेही से एक कुल्हाड़ी व अभियुक्त हरकचंद उर्फ हरिशचंद की निशादेही से एक लकड़ी बरामद करना दर्शाया गया है।

25. आहत रामराज ने अपने पर्चा बयान में **रामलखन** द्वारा जान से मारने की नियत से अपने **सिर पर व दाहिने हाथ के कंधे पर कुल्हाड़ी से** चोट मारना बताया है और **प्रेमचंद व हरकचन्द द्वारा उसके साथ लठों** से मारपीट करने का कथन किया है। जबकि न्यायालय के समक्ष **आहत साक्षी रामराज** ने साक्ष्य में उक्त रामलखन द्वारा स्वयं के साथ मारपीट करने का कोई का कथन नहीं किया और रामलखन की घटनास्थल पर मौजूदगी का जिक्र तक नहीं किया है। आहत रामराज की साक्ष्य के अनुसार उसके सिर व कंधे पर अभियुक्तगण प्रेमनारायण व हरकचंद दोनों ने कुल्हाड़ी से चोट मारी।

26. इसके विपरीत प्रत्यक्षदर्शी के रूप में परीक्षित **साक्षी क्रमांक 12 शिवराज** ने आहत रामराज के सिर में प्रेमचंद द्वारा कुल्हाड़ी से चोट मारना बताया है और कंधे पर पीछे से रामलखन द्वारा कुल्हाड़ी से एक चोट मारने का कथन है। साक्षी के अनुसार हरिशचंद ने लकड़ी से मारपीट की थी। जबकि **साक्षी क्रमांक 13 बलराम** का कथन है कि रामराज के कंधे पर कुल्हाड़ी की चोट प्रेमचंद ने मारी थी। इस साक्षी ने लखन व हरिशचंद द्वारा लकड़ी से मारपीट करना बताया है। प्रकरण के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी क्रमांक 7 दिलीप, साक्षी क्रमांक 9 प्रहलाद, साक्षी क्रमांक 14 कालूलाल, साक्षी क्रमांक 15 मंशाराम, साक्षी क्रमांक 16

रामबिलास, साक्षी क्रमांक 17 छीतरलाल, साक्षी क्रमांक 18 तेजराज व साक्षी क्रमांक 21 राजाराम पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और इन्होंने आहत रामराज के साथ अभियुक्तगण प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचंद व हरकचंद उर्फ हरिशचंद या अन्य किसी के द्वारा मारपीट करने की घटना की ताईद नहीं की है।

27. आहत की चोटों की स्थिति देखी जाये तो **चोट प्रतिवेदन घटना के 10 दिन बाद दिनांक 01.03.2019 को बना है** जिसमें सिर की चोट संख्या 1 पर ऑपरेशन के टांके लगे होना व कंधे की चोट संख्या 2 को भी टांका लगा घाव दर्शाया गया है। चिकित्सक साक्षी डॉ. सत्येन्द्र सिंह के अनुसार उक्त चोट संख्या 1 व 2 के हथियार के बारे में नहीं बताया जा सकता था। प्रकरण में आहत के धारदार हथियार से सिर व कंधे पर गम्भीर प्रकृति चोट कारित किये जाने के आधार पर धारा 307 व 326 भादसं के आरोप विरचित किये गये हैं लेकिन चिकित्सीय साक्ष्य से आहत के सिर व कंधे की चोटों के वास्तविक आकार व इन्हें कारित करने वाले हथियार की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सुधा अस्पताल, कोटा में आहत के उपचार करने वाले किसी चिकित्सक को पेश नहीं किया गया। अभियोजन ने सुधा अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अर्पित समधानी को साक्ष्य में परीक्षित करवाया है, किन्तु उसकी साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं है क्योंकि इस साक्षी कथन है कि उसने अन्य चिकित्सक द्वारा रैफर किये जाने पर सिटी स्केन फिल्म के आधार पर रिपोर्ट की थी और उसने स्वयं ने मरीज को नहीं देखा था।

28. इस प्रकार आहत की चोटों के बारे में मौखिक साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है और चिकित्सीय साक्ष्य में स्पष्टता का अभाव है। स्वयं आहत साक्षी रामराज ने पर्चा बयान में अपने सिर व कंधे की दोनों चोटें रामलखन द्वारा कुल्हाड़ी से मारना बताया था जबकि साक्ष्य में रामलखन की मौके पर उपस्थिति ही नहीं बताई और अपने कंधे व सिर की चोटें अभियुक्तगण प्रेमनारायण व हरकचंद द्वारा कुल्हाड़ी से चोट मारने का कथन किया है। आहत ने लकड़ी से अपने चोट कारित करने का कोई कथन नहीं किया है। इसके विपरीत प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उपस्थित साक्षी शिवराज ने आहत रामराज के कंधे पर रामलखन द्वारा कुल्हाड़ी से चोटे मारना कहा है जबकि साक्षी बलराम ने आहत के कंधे की चोट अभियुक्त प्रेमनारायण द्वारा कुल्हाड़ी से मारने का कथन किया है। इस साक्षी ने सिर में चोट मारने का कथन नहीं किया है व रामलखन तथा हरीशचंद द्वारा लकड़ी से मारपीट करना बताया है। इस प्रकार आहत रामराज की चोटों के बारे में उक्त विरोधाभासों के कारण यह स्पष्ट नहीं होता कि उसके सिर व कंधे पर चोटें वास्तव में अभियुक्तगण में से किसने कारित की व किस हथियार से कारित की या प्रकरण के अभियुक्तगण से भिन्न व्यक्ति ने कारित की ?

29. बचाव पक्ष ने साक्षीगण शिवराज व बलराम की मौके पर घटना के समय उपस्थिति पर प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में इन साक्षियों के बयान के अवलोकन से प्रकट होता है कि यद्यपि उक्त दोनों साक्षियों ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया है और एक साथ मौके पर पंहुचना कहा है परंतु साक्षीगण शिवराज व बलराम का कथन है कि वे चैनसिंह के द्वारा फोन करने/जानकारी देने पर घटनास्थल पर गये थे। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता कि चैनसिंह कौन है और उसे घटना की जानकारी किस प्रकार थी? साक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि घटनास्थल से गांव की दूरी डेढ़ दो किलोमीटर है। आहत रामराज ने पर्चा बयान प्रदर्श पी 05 में यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त शिवराज, बलराम या अन्य किसी ने घटना देखी हो बल्कि पर्चा बयान में आहत का कथन है कि वह चिल्लाया तो ये लोग (अर्थात् अभियुक्तगण व रामलखन) वहां से भाग गए थे और उसके गांव के बलराम व शिवराज दौड़कर आये। जो अपनी मोटरसाईकिल पर उसे सरकारी अस्पताल अकलेरा लेकर गये। न्यायालय के समक्ष भी आहत की साक्ष्य है कि मारपीट से उसके खून निकल आया था। उसके बाद बलराम और शिवराज उसे अकलेरा अस्पताल ले कर आये। दूसरी ओर साक्षी बलराम का प्रतिपरीक्षा में कथन है कि वे मौके पर गये तब रामराज के पास कोई नहीं था। इस साक्षी के अनुसार आहत रामराज उसके काका का लड़का है। साक्षी बलराम व शिवराज ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उन्हें न्यायालय में गवाही देने के लिए रामराज व उसका पिता लेकर आये हैं। इन परिस्थितियों में साक्षीगण शिवराज व बलराम की घटना के समय उपस्थिति संदेहजनक प्रतीत होती है।

30. पत्रावली में दो फोटोग्राफ प्रदर्श पी 8 व 9 प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें एक व्यक्ति के शरीर पर आई चोटें दर्शाई गई हैं। जिसके संबंध में अभियोजन साक्षी गिर्राज का कथन है कि उसने अपने चाचा के लड़के रामराज की चोटों के मोबाईल से फोटो लिये थे और ईमित्र से प्रिंट करवाकर पुलिस को पेश किये थे। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी। फोटो उसने अपनी मर्जी से बनाये थे। यह स्वीकार किया है कि फोटोग्राफ में एडीटिंग हो सकती है और अपने द्वारा कोई एडीटिंग नहीं करना बताया है। अनुसंधान अधिकारी ने कथन किया है कि उसने फोटोग्राफी नहीं करवाई थी और वह नहीं बता सकता कि फोटो में जो व्यक्ति है वह कौन है तथा यह भी नहीं बता सकता कि फोटोग्राफ को एडिट किया गया हो। इस प्रकार फोटोग्राफ के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी का कोई प्रमाण पत्र नहीं है और इन फोटोग्राफ का कारण व औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है। किसी आहत की चोटों को साबित

करने के लिए चिकित्सक की रिपोर्ट सुसंगत होती है। फोटोग्राफ के आधार पर चोटों के बारे में कोई राय कायम किया जाना सम्भव नहीं है।

31. बचाव पक्ष का तर्क है कि आहत रामराज गायों को भगाते समय स्वयं ही मोटरसाईकिल से नहर में गिरकर चोटग्रस्त हो गया था। आहत रामराज व साक्षी शिवराज, बलराम ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी क्रमांक 9 प्रहलाद ने आहत के मोटरसाईकिल से नहर में गिर जाने का कथन किया है। अनुसंधान अधिकारी घनश्याम एएसआई ने बचाव पक्ष के एेसे सुझाव से इन्कार नहीं किया है बल्कि उसका कथन है कि दीवार नहीं होने के कारण यदि रामराज गिर गया हो और इस कारण उसके चोटें आई हों तो वह नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में मामले में संदेह पैदा होता है।

32. अनुसंधान अधिकारी के अनुसार अभियुक्त प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचंद की सूचना पर उसके मकान से एक कुल्हाड़ी बरामद की थी एवं अभियुक्त हरकचंद उर्फ हरिशचंद की सूचना पर उसके मकान से एक लकड़ी बरामद की गई। पत्रावली में अभियुक्त प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचंद की दो सूचनाएं प्रदर्श पी 16 व 17 पेश की गई है और अभियुक्त हरकचंद उर्फ हरिशचंद की भी दो सूचनाएं प्रदर्श पी 14 व 15 संलग्न है। दोनों अभियुक्तगण की दो अलग अलग सूचनाओं में समान तथ्य अंकित है किन्तु प्रथम सूचना पर कोई कार्यवाही की गई हो यह प्रकट नहीं होता और हथियारों की बरामदगी एक ही दिन दिनांक 27.02.2019 को एक ही मकान के अलग-अलग कमरों से किया जाना दर्शाया गया है। अनुसंधान अधिकारी ने दो सूचनाएं लेखबद्ध करने का कोई कारण नहीं बताया है। इसलिए यह केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त बरामदगी पश्चातवर्ती सूचनाओं पर की गई हो सकती है। फर्द जप्ती कुल्हाड़ी प्रदर्श पी 03 में कुल्हाड़ी पर खून जैसे धब्बे दर्शाये गयें हैं किन्तु एफएसएल की जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 में कुल्हाड़ी पर मानव रक्त नहीं पाया गया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 02 व 03 के स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हैं। साक्षी क्रमांक 1 भूरालाल व साक्षी क्रमांक 2 गोपाल ने उनके सामने अभियुक्तगण द्वारा कुल्हाड़ी व लकड़ी बरामद करने से इंकार किया है और फर्द जप्ती पर थाने में हस्ताक्षर करवाये जाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में कुल्हाड़ी व लकड़ी की बरामदगी की साक्ष्य से व एफएसएल जाँच के परिणाम से अभियुक्तगण की आरोपित अपराध में लिप्तता की उपधारणा किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

न्यायालय का निष्कर्ष-

33. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की समग्र विवेचना से प्रकट होता है कि आहत रामराज के साथ दिनांक 18.02.2019

की घटना की उस दिन कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई और दिनांक 19.02.2019 को सुधा अस्पताल, कोटा में पर्चा बयान लेखबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। पर्चा बयान लेने वाले अधिकारी सरदार सिंह हेड कानि. ने उस समय मेडिकल के लिए तहरीर देने का कथन किया है किन्तु सुधा अस्पताल कोटा में आहत की चोटों के परीक्षण की कोई रिपोर्ट बनी हो यह स्पष्ट नहीं हुआ है और पत्रावली में सुधा अस्पताल की केवल सिटी स्केन की एक रिपार्ट प्रदर्श पी 29 संलग्न है। जिसके सम्बन्ध में उक्त अस्पताल के डॉ. अर्पित समधानी का बयान है कि डॉ. कपिल जैन द्वारा रैफर करने पर सिटी स्कैन की रिपोर्ट बनाई थी, उसने मरीज को नहीं देखा था। आहत का चोट प्रतिवेदन घटना के 10 दिन बाद बनाया गया है। जिसमें सिर व कंधे की चोटों के हथियार के बारे में बताने में असमर्थता व्यक्त की गई है तथा चोट सं. 3 पीठ पर ब्लंट वेपन से कारित दर्शाई गई है। मौखिक साक्ष्य में आहत रामराज ने अपने साथ अभियुक्तगण प्रेमनारायण व हरकचंद द्वारा कुल्हाड़ी से चोटें मारना कहा है और यह स्पष्ट नहीं किया कि किस अभियुक्त ने किस अंग पर चोट कारित की। आहत ने स्वयं के लकड़ी से चोट मारे जाने का कथन नहीं किया। जबकि उसने अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी 05 में स्वयं के सिर व दाहिने कंधे पर रामलखन द्वारा कुल्हाड़ी से चोट मारना व प्रेमनारायण व हरकचंद द्वारा लठों से चोट मारना बताया था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी बताये गये साक्षी शिवराज ने आहत के कंधे पर रामलखन द्वारा कुल्हाड़ी से चोट मारना व सिर में प्रेमचंद द्वारा कुल्हाड़ी से चोट मारना बताया है जबकि साक्षी बलराम ने आहत की कंधे की चोट प्रेमचंद द्वारा कुल्हाड़ी से मारना कहा है और आहत के सिर की चोट के बारे में कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण साक्षी क्रमांक 7 दिलीप, साक्षी क्रमांक 9 प्रहलाद, साक्षी क्रमांक 14 कालूलाल, साक्षी क्रमांक 15 मंशाराम, साक्षी क्रमांक 16 रामबिलास, साक्षी क्रमांक 17 छीतरलाल, साक्षी क्रमांक 18 तेजराज व साक्षी क्रमांक 21 राजारामसाक्षी क्रमांक 7 दिलीप, साक्षी क्रमांक 9 प्रहलाद, साक्षी क्रमांक 14 कालूलाल, साक्षी क्रमांक 15 मंशाराम, साक्षी क्रमांक 16 रामबिलास, साक्षी क्रमांक 17 छीतरलाल, साक्षी क्रमांक 18 तेजराज व साक्षी क्रमांक 21 राजाराम पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और उन्होंने अभियोजन कथा की पुष्टि नहीं की। अभियोजन पर अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है और हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण प्रेमनारायण व हरकचन्द उक्त आरोपित अपराध के आरोपों से दोषमुक्ति के पात्र हैं।

<u>आदेश</u>

34. परिणामतः अभियुक्तगण 01. **प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचन्द** पुत्र मथुरालाल व 02. **हरकचन्द उर्फ हरिशचन्द** पुत्र मथुरालाल, निवासीगण परपती, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा **323 विकल्पतः 323/34, 326 विकल्पतः 326/34, 307 व 504 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत नियमित उपस्थिति के बंधपत्र प्रतिभू निरस्त किये जाते हैं।

35. प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत कुल्हाड़ी, लकड़ी, कपड़े आदि बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट करने के आदेश दिये जाते हैं।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

36. यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया व खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

संलग्नः- परिशिष्ट **'क'** व **'ख'**

परिशिष्ट **'क'**

अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची -

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01 भूरालाल	फर्द पंचनामा, फर्द सुपुर्दगी लाश
02 गोपाल	फर्द पंचनामा, फर्द सुपुर्दगी लाश
03 उम्मेदराज	नक्शा मौका, फर्द जप्ती व माल एफएसएल जमा कराना
04 पप्पूलाल	घटना के बारे में कहना
05 रामराज	घटना के बारे में कहना
06 सरदारसिंह	फर्द जप्ती व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
07 दिलीप कुमार	फर्द जप्ती पजामा
08 गिर्राज मीणा	नक्शा मौका व घटना के बारे में कहना
09 प्रहलाद	घटना के बारे में कहना
10 घनश्याम	घटना के बारे में कहना
11 सत्येन्द्रसिंह	घटना के बारे में कहना
12 शिवराज	घटना के बारे में कहना
13 बलराम	पर्चा बयान, फर्द जप्ती व पंचनामा
14 कालूलाल	चिकित्सक साक्षी
15 मन्शाराम	घटना के बारे में कहना
16 रामबिलास	घटना के बारे में कहना
17 छीतरलाल	घटना के बारे में कहना
18 तेजराज	फर्द गिरफ्तारी, फर्द बरामदगी व नक्शा मौका
19 धन्नालाल	फर्द गिरफ्तारी, फर्द बरामदगी व नक्शा मौका
20 नारायणसिंह	चिकित्सक साक्षी
21 राजाराम	मालखाना इंचार्ज
22 डॉ. अर्पित समधानी	अनुसंधान अधिकारी
23 हनुमान	चिकित्सक साक्षी

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

परिशिष्ट 'ख'

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात की सूची-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी-1	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 1, 2, 10
प्रदर्श पी-2	फर्द बरामदगी लकड़ी	साक्षी क्रमांक 1, 2, 10
प्रदर्श पी-3	फर्द बरामदगी कुल्हाड़ी	साक्षी क्रमांक 1, 2, 10
प्रदर्श पी-4	फर्द जप्ती कपड़े	साक्षी क्रमांक 3, 4, 5, 10
प्रदर्श पी-5	पर्चा बयान	साक्षी क्रमांक 5, 6, 10
प्रदर्श पी-6	प्रथम सूचना रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 6, 10
प्रदर्श पी-7	पुलिस बयान गवाह रिंकू उर्फ दिलीप	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी-8, 9	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 8, 10
प्रदर्श पी-10	पुलिस बयान गवाह प्रहलाद	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी-11	नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 10
प्रदर्श पी-12	फर्द गिरफ्तारी हरिशचन्द	साक्षी क्रमांक 10
प्रदर्श पी-13	फर्द गिरफ्तारी प्रेमनारायण	साक्षी क्रमांक 10
प्रदर्श पी-14, 15	हरिशचन्द की धारा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना	साक्षी क्रमांक 10
प्रदर्श पी-16, 17	प्रेमनारायण की धारा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना	साक्षी क्रमांक 10
प्रदर्श पी-18	माल एफएसएल जमा कराने की प्राप्ति रसीद	साक्षी क्रमांक 10, 23
प्रदर्श पी-19	आपराधिक रिकॉर्ड	साक्षी क्रमांक 10
प्रदर्श पी-20	एफएसएल रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 10
प्रदर्श पी-21	चोट प्रतिवेदन आहत रामराज, सीटी स्कैन	साक्षी क्रमांक 11, 22
प्रदर्श पी-22	एक्स-रे कवरनोट	साक्षी क्रमांक 11
प्रदर्श पी-23	पुलिस बयान गवाह कालूलाल	साक्षी क्रमांक 14
प्रदर्श पी-24	पुलिस बयान गवाह मंशाराम	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-25	पुलिस बयान गवाह रामबिलास	साक्षी क्रमांक 16
प्रदर्श पी-26	पुलिस बयान गवाह छीतरलाल	साक्षी क्रमांक 17
प्रदर्श पी-27	पुलिस बयान गवाह तेजराज	साक्षी क्रमांक 18
प्रदर्श पी-28	पुलिस बयान गवाह धन्नालाल	साक्षी क्रमांक 19
प्रदर्श पी-29 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति	साक्षी क्रमांक 20
प्रदर्श पी-29	पुलिस बयान गवाह राजाराम	साक्षी क्रमांक 21

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

ADP

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.13 08:49:25 IST